

वस्त्र मंत्रालय

जुलाई, 2018 के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सार

1. नीतिगत निर्णय:

- i. **कपास मौसम 2018-19 के लिए कपास की उच्चतर न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) की अधिसूचना:** कृषि मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2018 के पत्र के तहत कपास मौसम 2018-19 के लिए मीडियम स्टेपल के लिए 5150/- रुपए और लांग स्टेपल के लिए 5450/- रुपए के रूप में एमएसपी अधिसूचित की है।
- ii. **हस्तशिल्प कारीगरों के लिए मुद्रा के तहत मार्जिन मनी:** माह के दौरान राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मुद्रा के तहत मार्जिन मनी के नए घटक हेतु स्थाई वित्त समिति की बैठक हुई।
- iii. **कार्य योजना तैयार करने के लिए सचिवों का समूह:** माह के दौरान प्राकृतिक फाइबर के विकास और परंपरागत वस्त्रों की वृद्धि तथा वस्त्र मशीनरी के विकास के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए सचिवों के समूह की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- i. **हथकरघा:** घरेलू ग्राहकों में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ही ग्राहकों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए दिल्ली और मुम्बई में जुलाई, 2018 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के हैंडलूम एक्सपो विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विदेशी बाजार में हथकरघा उत्पादों का संवर्धन करने के लिए विकास आयुक्त(हथकरघा) कार्यालय ने दिनांक 18 से 20 जुलाई, 2018 के दौरान ओसाका (जापान) में हुए 29वें इंडिया होम फर्निशिंग फेयर/39वें इंडिया गार्मेंट फेयर में भाग लिया।
- ii. **कपास:** जुलाई, 2018 के दौरान कपास की अखिल भारत आवक 15.22 लाख गांठों की हुई। चूंकि अधिकांश जुलाई, 2018 के दौरान कच्ची कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक चल रहा था इसलिए एमएसपी के तहत भारतीय कपास निगम ने कोई खरीद नहीं की।
- iii. **विद्युत्करघा क्षेत्र:** विद्युत्करघा कामगारों की सामूहिक बीमा योजना के तहत जुलाई, 2018 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों ने 9,762 विद्युत्करघा कामगारों को पंजीकृत किया जिसमें प्रीमियम का भारत सरकार का कुल हिस्सा 16,21,252/- रुपए था। जुलाई, 2018 में कुल 28667 करघों का उन्नयन किया गया और साधारण विद्युत्करघों की स्व-स्थाने उन्नयन योजना के तहत 3652.94 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई।

- iv. **टफ्स:** जुलाई, 2018 के दौरान एटफ्स के तहत 1160.46 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 81.35 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता से 372 यूआईडी जारी की गई।
- v. **जीईएम पोर्टल के माध्यम से पटसन सैकिंग बैग की खरीद:** जीईएम पोर्टल के माध्यम से पटसन सैकिंग सामग्री अधिनियम के तहत पटसन सैकिंग बैग की खरीद की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए 16 जुलाई, 2018 को विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने भाग लिया जिसमें राज्यसरकारों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
- vi. **तकनीकी वस्त्र:** तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग पर दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मंत्रिमंडल सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया और जैव-सिंथेटिक्स, कंपोजिट, बिल्डटेक, मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल आदि के प्रयोग के लिए प्रयोक्त मंत्रालयों के लिए हस्तक्षेप संबंधी सुझावों के साथ 10 मंत्रालयों को अधिदेश का प्रस्ताव दिया गया।
- vii. **विशेष गुणवत्तायुक्त फाइबर:** तकनीकी वस्त्रों के लिए विशेष गुणवत्तायुक्त उच्च कार्य निष्पादन क्षमता के फाइबर का विकास और आरएंडडी नीति का रोड मैप तैयार करने लिए डा. वी.के.सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 19 जुलाई, 2018 को नीति आयोग में देश में तकनीकी वस्त्रों के भविष्यवादी विकास के लिए अनुसंधान और विकास की योजना तैयार करने हेतु समिति की पहली बैठक हुई
